फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री खेमराज सिंह पिता श्री भंवर सिंह रावत निवासी चक कालागुन, पो. ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 21/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये क्रमांक – सूकाअ/02/2024/44 दिनांक 02.04.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी श्री खेमराज सिंह पिता श्री भंवर सिंह रावत निवासी चक कालागुन पो. ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा आवेदन किया गया था तथा कार्यालय तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द के पत्रांक सूकाअ/02/2024/19 दिनांक 29.01.2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि ग्राम चक कालागुन पटवार हल्का ताल का नामान्रण संख्या 46 तकनीकी कारण से गलत दर्ज हो गया था। जिसको शुद्ध कर पुनः नामा0 संख्या 50 पर दर्ज किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को कार्यालय तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द के पत्रांक सूकाअ/02/2024/19 दिनांक 29.01.2024 द्वारा भिजवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** Pallu **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर